

## अमेजन कंपनी का कर्मी बनकर ठगने वाला दबोचा

- -थाना हनुमंत विहार पुलिस को मिली बड़ी सफलता
- -ठगी के मामले में पहले भी जेल जा चुका है शातिर
- -थाना रेल बाजार क्षेत्र में भी वर्ष 2019 में कर चुका है ठगी

कानपुर: आनलाइन शापिंग, ऑफर और कुछ सस्ता पाने का क्रेज कई बार इतना घातक भी हो जाता कि घर में रखी रकम भी पार हो जाती है। लोगों के इस कमजोरी का फायदा उठाकर उन्हें ठगने वाले शातिर को थाना हनुमंत विहार पुलिस ने दबोच लिया। अभियुक्त ने कई इलेक्ट्रानिक दुकानदारों को भी उनका व्यापार बढ़ाने का झांसा देकर ठगी का शिकार बना चुका है। अभियुक्त इसके पहले भी ठगी के मामले में पकड़ा जा चुका है।

घटनाक्रम के मुताबिक थाना हनुमंत विहार पर दिनांक 19.09.2022 को रितिका गुप्ता पत्नी श्री अमित कुमार गुप्ता नि. प्लाट नं. 6 योगेन्द्र विहार फेस 2 थाना हनुमंत विहार ने मु030सं0 104/22 धारा 420/406/506 आईपीसी पंजीकृत कराया। शिकायत में बताया गया कि - ओम गुप्ता पुत्र रमेश कुमार गुप्ता नि0 ब्लाक रोड सराय सूबेदार थाना सफीपुर जनपद उन्नाव हाल निवासी 66/24 हूलागंज थाना हरवंशमोहाल ने भिन्न भिन्न क्षेत्रों में काफी संख्या में लोगों के साथ इलेक्ट्रोनिक सामान की खरीद फरोख्त/व्यापार में पैसा इन्वेस्ट कर फायदा दिलाने का लालच देकर धोखाधड़ी से केश व आनलाइन पैमेंट लेकर हड़प लेता है। अभियुक्त खुद को अमेजन कंपनी का कर्मचारी बताकर लोगों को झांसे में लेता था। कुछ लोगों को सामान भी दिलवा चुका है तािक लोगों को कोई शक न हो इसके बाद उनसे और उनके रिश्तेदारों से शादी समारोह के लिये बड़े आर्डर ले लेता था, फिर मोटी रकम लेकर गायब हो जाता था। अभियुक्त के खिलाफ थाना हनुमंत विहार के अतिरिक्त थाना रेल बाजार में भी धोखाधड़ी का एक मामला दर्ज होना प्रकाश में आया है।

## नाम पता अभियुक्त-

•ओम गुप्ता पुत्र रमेश कुमार गुप्ता नि0 ब्लाक रोड सराय सूबेदार थाना सवीपुर जनपद उन्नाव हाल पता 66/24 हूलागंज थाना हरवंशमोहाल जनपद कानपुर नगर उम्र करीब 30 वर्ष ।

## अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

- •मु0अ0सं0 135/19 धारा 406/420/506/120बी आईपीसी थाना रेल बाजार कानपुर नगर।
- •मु०अ०सं० १०४/२२ धारा ४२०/४०६/५०६ आईपीसी थाना हनुमंत विहार कानपुर नगर ।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम** में थाना प्रभारी अभिलाष मिश्रा, उ०नि० श्री राजकुमार मौर्य, हे०का० संजय गौर, हे०का० राजेश शर्मा शामिल रहे।